संख्याः 14/17/123 तिथिः 29/11/2023 पावती समयः 01:31 PM

तारांकित प्रश्न

विषय:- किसानों की फसल खराबे मंत्री:- श्री. जय प्रकाश दलाल

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:

श्री अभय सिंह चौटाला(46), सदस्य

सेवा में:

सचिव

हरियाणा विधान सभा

Delhi-1

महोदय,

देता हूं जिसका उत्तर

* कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि :

क्या कृषि मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि

- क- पिछले तीन सालों (2020-21 से 2022-23) में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियों की तरफ किसानों की फसल खराबे से हुए नुकसान की कुल कितनी राषि वर्षवार तथा जिलावार बकाया है, यदि हां तो,
- ख- उपरोक्त (क) के अनुसार बकाया राषि के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है और अदायगी न होने की स्थिति में दोषी कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है उसका ब्यौरा दिया जाए ?
- ग- खरीफ 2023 के जून, जुलाई में ज्यादा बारिष के कारण कपास व धान की फसलों को हुए भारी नुक्सान हुआ, क्या विभाग द्वारा फसलों को हुए नुक्सान का मूल्यांकन करवाया गया है या नहीं, अगर हां
- घ- तो किसानों को उसका कितना मुआवजा जिलावार दिया गया है, विवरण सहित बताएं।

भवदीय

श्री अभय सिंह चौटाला(46) सदस्य

29/11/2023 01:31 PM

This document is computer generated and signature is not required.

FOR OFFICE USE